बिदाई

शास. यशोदा बाई कन्या उ. मा. विद्यालय, खितौला बाजार के शिक्षक जयप्रकाश को दी भावभीनी बिदाई

बिदाई समारोह में मंच पर रो पड़ी बच्चियां

सिहोरा नवभारत। शासकीय यशोदा बाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खितौला बाजार के वरिष्ठ शिक्षक जयप्रकाश तिवारी अपनी अधिवार्षिकी आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त हुए। उनके सम्मान में एक भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष अतुल मिश्रा और सी.एम. राइज़ प्राचार्य अशोक उपाध्याय शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता संकुल प्राचार्य जे.एल. खांडे ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में पार्षद गौरादेवी विश्वकर्मा और बी.आर.सी.सी. बृजेश श्रीवास्तव उपस्थित रहे। इस विदाई समारोह का सबसे भावुक क्षण तब आया जब प्राथमिक विभाग की छोटी छात्राएं अपने प्रिय शिक्षक जयप्रकाश तिवारी के प्रति अपना लगाव नहीं रोक सकीं। वे स्वागत कार्यक्रम के बीच में ही मंच पर पहुँच गईं और अपने शिक्षक से लिपटकर फूट-फूटकर रोने लगीं। बच्चों को इस तरह रोता देख मंच पर मौजूद सभी अतिथि और शिक्षक भी भावुक हो गए। जयप्रकाश तिवारी ने जब बच्चियों को समझाया कि वह स्कूल आते रहेंगे, तब जाकर उन्होंने रोना बंद किया।

शिक्षक की उपलब्धियों की सराहना

सी.एम. राइज़ प्राचार्य अशोक उपाध्याय, बी.आर.सी. बृजेश श्रीवास्तव और संकुल प्राचार्य जे.एल. खांडे ने जयप्रकाश तिवारी की सेवाओं की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश तिवारी ने न केवल छात्रों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि विद्यालय परिसर को हरा-भरा रखने के लिए गहन वृक्षारोपण और उनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा।

अभिनंदन और स्मृति चिन्ह भेंट किया

विदाई समारोह में कई संगठनों ने जयप्रकाश तिवारी को अभिनंदन पत्र भेंट किए। इनमें एकीकृत शासकीय यशोदा बाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, पटवारी संघ, कृषि उपज मंडी संघ, अज़ाक्स संघ, सर्वोदय ब्राह्मण समाज और लिपिक संघ के प्रतिनिधि शामिल थे। शिक्षक जयप्रकाश तिवारी ने छात्रों को पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम और स्वामी विवेकानंद के विचार वाले स्मृति चिन्ह भेंट किए। इसके अतिरिक्त, प्राचार्य जे.एल. खांडे ने शिक्षकों और अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए। सभी आमंत्रित लोगों को डॉ. कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक भी भेंट की गई। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता अरविंद तिवारी, महेन्द्र त्रिपाठी ने किया, और इसमें कई गणमान्य व्यक्तियों और विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जयप्रकाश तिवारी ने इसे अपने जीवन का अविस्मरणीय पल बताया। इस अवसर पर सर्वोदय ब्राह्मण समाज के नागेंद्र कुररिया, विष्णु दत्त गौतम,अतुल मिश्रा प्रांताध्यक्ष तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ,अनवर चच्चा सर,सुनील पटेल पूर्व अध्यक्ष , नितिन अग्रवाल अध्यक्ष जि.शाखा जबलपुर ,उमा झारिया, प्रधान सर,संतोष उरमलिया अध्यक्ष तह.शाखा सिहोरा,अर्जुन गर्ग,सतीश तिवारी,योगेंद्र मिश्रा, महेन्द्र त्रिपाठी,संतोष पटेल, उजयारे लाल हल्दकार, विष्णु यादव, रामनरेश हल्दकार, गोविंद हल्दकार,अशोक श्रीवास्तव,देव शरण श्रीवास ,राम नारायण सोनी,राम मनोहर सोनी, जगदीश गोंटिया, विनोद गुप्ता,आशीष तिवारी , शिवकुमार दीक्षित, कालीचरण राय,रेवा पटेल,राजू भैया पटवा, रामजी बर्मन,रवि मिश्रा आदि उपस्थित थे।

धड़ल्ले से जारी है अवैध निर्माण

▸ नतमस्तक नजर आ रहा नगर परिषद का अमला

नवभारत,मझौली। नगर परिषद मझौली की निष्क्रियता और लापरवाही अब आमजन के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। वार्ड क्रमांक 5 बचैया रोड, वार्ड 11 सुहजनी रोड और वार्ड 9 (नगर परिषद कार्यालय के समीप) में बिना अनुमति के कई भवन निर्माण कार्य तेजी से जारी हैं, वो भी तब जब संबंधित व्यक्तियों को पूर्व में नोटिस जारी किए जा चुके हैं। नगर परिषद द्वारा 13 जून को जारी पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि बिना पूर्व स्वीकृति के भवन निर्माण नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187(8) एवं 223 का उल्लंघन है, और ऐसा पाए जाने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन स्थल पर स्थिति ठीक विपरीत है।

निष्क्रियता या मिलीभगत

जब नगर परिषद के नोटिस के बावजूद निर्माण कार्य रुका नहीं, तो सवाल उठता है कि क्या नोटिस महज औपचारिकता भर हैं, या फिर जिम्मेदारों की मिलीभगत से नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य हो रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर क्षेत्रीय पत्रकारों और सामाजिक संगठनों ने भी अपनी नाराजगी जताई है।

इनका कहना है

हमने कई बार नगर परिषद में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तो लोगों को लगने लगा है कि बिना अनुमति के ही मकान बना लेना सबसे आसान तरीका है।

रामनाथ पटेल
रहवासी, वार्ड -11

हमसे मकान मरम्मत के लिए भी नक्शा और अनुमति मांगी जाती है, लेकिन कुछ लोगों को पूरा भवन बनाने की छूट है। यह कैसा न्याय है।

सरिता यादव
निवासी, वार्ड 5

नगर परिषद कार्यालय के ठीक बगल में अवैध निर्माण हो रहा है, और अधिकारी चुप हैं। लगता है कि मिलीभगत है, वरना ऐसी ढील कैसे मिलती ?

कमलेश साहू
व्यापारी

अपहरण-दुष्कर्म प्रकरण में फरार आरोपी पर डीआईजी ने बढ़ाया ईनाम

जबलपुर। घमापुर थाने में दर्ज अपहरण, दुष्कर्म प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस उप महानिरीक्षक जबलपुर रेंज जबलपुर ने ईनाम की राशि बढ़ा दी हैं। पुलिस के मुताबिक प्रकरण में आरोपी अरबाज खान पिता जावेद खान 23 वर्ष निवासी मित्तल नगर नई बस्ती आदमपुर थाना उमरी बेगमगंज जिला गौंडा उत्तर प्रदेश का फरार हैं। जिसकी गिरफ्तारी पर पूर्व में पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने पांच हजार रूपए का ईनाम घोषित किया था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हर सम्भावित स्थानों पर दबिश दी गयी किन्तु गिरफ्तारी नहीं की जा सकी। अब पुलिस उप महानिरीक्षक जबलपुर रेंज जबलपुर अतुल सिंह ने दस हजार रूपये नगद पुरूस्कार से पुरूस्कृत करने की उद्घोषणा की गयी है। यदि सूचनाकर्ता चाहे तो उसका नाम पूर्णत: गोपनीय रखा जायेगा।

ये फरार आरोपी भी हुए ईनामी

विजय नगर थाने में दर्ज आपराधिक प्रकरण में फरार आरोपी सोहेल उर्फ शेएब पर दस हजार, मदनमहल थाने में दर्ज पॉस्को एक्ट में फरार अमन राय पिता राजेश राय 25 वर्ष निवासी ग्राम गंगाई बडखेरा पर पांच हजार, मझगवां थाने में दर्ज अन्य प्रकरण में फरार अज्ञात आरोपी पर तीन हजार रूपए, केंट थाने में दर्ज धोखाधड़ी के प्रकरण में फरार पूरन सिंह इंदोरिया उर्फ रवि पिता महाराज राज सिंह इंदोरिया निवासी ग्वालियर पर तीन हजार रूपए का ईनाम पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने घोषित किया है।

स्वच्छता अपनाओ, बीमारी भगाओ अभियान

जबलपुर। नगर परिषद भेड़ाघाट में शासन के निर्देशानुसार स्वच्छता अपनाओ, बीमारी भगाओ अभियान एवं स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान सक्रिय रूप से चलाया जा रहा है। इसी के तहत नगर परिषद भेड़ाघाट द्वारा शासकीय माध्यमिक विद्यालय, भेडाघाट में विद्यार्थियों को स्वच्छता संबंधी जानकारी दी गई। इस अवसर विद्यार्थियों को हाथ धोने की सही विधि सिखाई और बताया कि किस प्रकार स्वच्छता की आदत कई बीमारियो से बचा सकती है। अभियान स्वच्छता नोडल अधिकारी सुनील बैरागी के मार्गदर्शन मे आयोजित इस कार्यक्रम में नगर परिषद के अध्यक्ष चतुर सिंह लोधी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी विक्रम सिंह झरिया, इंजीनियर निधि परोहा, उद्यान प्रभारी लक्ष्मी नारायण दुबे, डालचंद सेन, शुभम ठाकुर, अंशुल सेन सहित नगर परिषद की टीम उपस्थित रही।

जसविंदर कौर को दी भावपूर्ण बिदाई

जबलपुर नवभारत । पंजाब एजुकेशन सोसायटी रांझी के सहसचिव दमनीत सिंह प्रिंस भसीन ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि- पंजाब एजुकेशन सोसायटी के के खालसा स्कूल रांझी की 25 वर्षो से समर्पित शिक्षिका सरदारनी जसविंदर कौर वासन जिन्होंने अपने सहज स्वाभाव से शाला में अपनी अमिट छाप बनाई है एवं पूरी निष्ठा के साथ बच्चों के भविष्य के प्रति पूर्ण सजग रह कर शिक्षा प्रदान की एवं अच्छे संस्कार दिए पुरे स्कूल के स्टॉफ, एवं कमेटी मेंबर्स ने उनके अच्छे सावस्थ एवं उज्जवल भविष्य की कामनाये की स्कूल की रश्मि कुशवाहा मैडम ने सुरीले गीतों से समा बांध दिया । आज के आयोजन में पंजाब एजुकेशन सोसायटी रांझी के अध्यक्ष कमलजीत सिंह जग्गी, सचिव अमरजीत सिंह अलग, सह सचिव दमनीत सिंह प्रिंस भसीन, कवलजीत सिंह सचदेवा, नंदा ब्रदर्स, हरदीप सिंह जगदेव, राजू भमरा, बिल्लू जॉली, गुरूसिंह सभा की ओर से प्रधान सतपाल सिंह संधू, तजिन्दर पाल सिंह बब्बू सरना,कुलदीप सिंह अलग,गुरदीप सिंह नाग, दिलीप सिंह जगदेव, जीत सिंह वासन सहित पंजाब एजुकेशन सोसायटी की प्राचार्या शशि रजक, एकता गर्ग,रश्मि कुशवाहा, पायल मैडम, जयश्री मैडम एवं समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे ।

आवारा घूम रहे गायों को गौशाला में रखा

▸ कलेक्टर, एसपी एवं सीईओ पहुंचे बंदरकोला गौशाला

नवभारत, जबलपुर। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बरगी के पास बंदरकोला गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री सक्सेना ने गौशाला संचालन व्यवस्था की जानकारी ली। उल्लेखनीय है कि उक्त गौशाला का निर्माण मनरेगा से कराया गया है। जिसमें 100 गौवंश रखने की कैपीसिटी है। अभी वहां 103 गौवंश है। गौशाला में सड़कों में आवारा घूम रहे गायों को भी रखा गया है। साथ ही उनके चारा-भूसा व पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। गौशाला का संचालन ग्राम पंचायत बंदरकोला के श्री सिद्धि विनायक स्व-सहायता समूह द्वारा की जाती है। कलेक्टर श्री सक्सेना ने कहा कि गौशाला में कम से कम 10 दुधारु गायों को रखें, जिससे कुछ आर्थिक गतिविधियां भी हो सकें। उन्होंने पुलिस अधीक्षक व सीईओ जिला पंचायत के साथ गौशाला में मौजूद गायों को हरी घास भी खिलाया। साथ ही गौशाला परिसर में पौधारोपण किया। कलेक्टर श्री सक्सेना ने कहा कि गौशाला का प्रबंधन व संचालन बेहतर तरीके से करें।

शिव महापुराण की कथा समस्त पापों का नाश करने वाली है: शिव साधक महाराज

पनागर नवभारत। शिवसाधक जी अतुल भैया के सानिध्य में चल रहे अनवरत श्रावण मासिक पार्थिव शिवलिग निर्माण एवं नवग्रह उपासना में आज शिव महापुराण का प्रथम दिवस रहा जिसमें शिव साधक जी महाराज ने बताया की शिवकथा को श्रावण करने वाला शिवभक्त अगर पश्चाताप की भावना रखे तो व्यक्ति चंचुला और बिंदुग जैसे महापापी पाप से मुक्त होकर शिवलोक को पास्त कर सकते हैं। शिवकला में शिव लीला के साथ-साथ जीवन समन्वय की कला है वृहद शिवकथा और पुण्य कला है। जिसे हर शिव भक्त को धारण करनी चाहिए. इस पावन शिव महापुराण में समिति के आनंद जैन,बहादुर राय,धर्मेश उपाध्याय,नवल खम्परिया,रोशन तिवारी,स्वप्निल ठाकुर,भगवान दास प्रजापति,प्रशांत पटेल,भारत शास्त्री आदि अनेक जनों ने शिव पुराण में पहुंचकर पुण्य लाभ लेने की अपील की है

प्लानिंग तो 75 रुपये लीटर दूध बेचने की है

▸ 73 में मिल रहा अभी दूध परेशान होटल संचालक

पनागर नवभारत। परियट के डेयरी संचालकों के द्वारा दूध के दामों में की गई बढ़ोतरी ने आम आदमी को जहां चिंता में डाल दिया है वहीं दूसरी तरफ यदि समय रहते प्रशासन की नींद नहीं टूटी तो दूध के दाम कम होने के बजाय और बढ़ाने की तैयारी डेयरी संचालकों ने पहले से ही कर रखी है और उनकी योजना है कि यदि 73 रुपए वाला फार्मूला सफल हो गया तो आने वाले महीनों में दूध के दाम 75 रुपए तक बढाये जा सकते हैं।और यह पूरा खेल एक योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। अचानक दूध के दामों में तीन रुपए की वृद्धि वह भी बारिश के दिनों में लोगों के गले नहीं उतर रही है। लेकिन आम आदमी कर भी क्या सकता है। दूध हर घर की इतनी बड़ी आवश्यकता है कि डेरी वालों की मनमानी के आगे जनता के सामने महंगा दूध खरीदने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता उल्लेखनीय है कि आमतौर पर देखने में आया है कि गर्मी के सीजन में दूध के दामों में बढ़ोतरी होती है लेकिन इस बार तो डेयरी मालिकों और संचालकों ने चोरी चोरी चुपके चुपके बीच बरसात में ही दूध के दामों में 3 रूपये लीटर की बढ़ोतरी कर दी। दो-चार दिन पहले तक जो दूध 70 रुपये लीटर मिलता था उसके रेट अचानक 73 रुपए लीटर हो गए हैं और यह भी ग्राहकों को बिना किसी पूर्व सूचना के सुबह-सुबह जब लोग दूध लेने पहुंचे तो होटल संचालक अचानक दूध के दाम से घबरा गए,पता चला कि दाम बढ़ गए हैं। हर वर्ष गर्मी के सीजन में दूध के दामों में बढ़ोतरी होना तो आम बात है पहले तीन-चार रुपए बढ़ाये जाते है और जब हो हल्ला मचता है तो एक दो रुपए लीटर कम कर दिए जाते हैं। यह वर्षों से होता चला आ रहा है। लेकिन इस बार बारिश के मौसम में और त्योहार के मौके पर दूध के दामों में बढ़ोतरी लोगों के गले नहीं उतर रही है। हालांकि अभी कुछ डेरी संचालक पुराने रेट पर ही दूध बेच रहे हैं लेकिन उनका यह कहना है कि एक तारीख से दूध 73 रुपये लीटर ही बिकेगा। वहीं कुछ लोग तो यह भी बता रहे हैं कि अभी तो सिर्फ प्रयोग किया जा रहा है डेयरी संचालको की इच्छा तो दूध के दाम 75 रुपए प्रति लीटर करने की है।

बिगड़ जाएगा लोगों का बजट

दूध के दामों में की गई बढ़ोतरी के बीच चर्चाओं में एक खबर ऐसी भी निकाल कर सामने आ रही है कि अब डेरी संचालकों ने भी शराब ठेकेदारों की तरह सिंडिकेट बना लिया है और इसी सिंडिकेट में तय किया गया है कि दूध के दाम 75 रुपए करने की है। और यदि हो हल्ला मचता है तो एक दो रुपये कम कर दिए जाएंगे। हाला की दूध बढ़ाने के दामो को लेकर पीडित उपभोक्ताओं ने अपनी व्यथा अखबारों के माध्यम के जरिए सामने लाना तो शुरू कर दी है लेकिन लगता है कि प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक अभी यह बात पहुंच नहीं पाई है तभी तो वह अचानक हुई इस बढ़ोतरी पर मौन धारण किए हुए हैं ।

सात बदमाश सात चाकू के साथ पकड़ाए

जबलपुर। ओमती, कोतवाली, माढोताल, विजय नगर पुलिस की टीम द्वारा 7 बदमाशों को 7 चाकू सहित रंगे हाथ पकडा है। ओमती पुलिस ने जिला शिक्षा कार्यालय के बाजू में घेराबंदी कर जिशान खान पिता जहीर खान 22 वर्ष निवासी नया मोहल्ला ओमती, कोतवाली पुलिस ने उखरी रोड पावर हाउस के पास दबिश देते हुये हर्ष झारिया 19 वर्ष निवासी पीएनटी कालोनी, माढ़ोताल पुलिस ने रैगवा मोड़ में दबिश देते हुये आरोपी श्याम नट 20 वर्ष निवासी सूरतलाई बिलखरवा व पाटन बायपास पुल के नीच दबिश देते हुये आरोपी उत्तम सिंह नट 35 वर्ष निवासी सूरतलाई बिलखरवा, पाटन बायपास नागपुर तरफ जाने वाली सर्विस रोड पर दबिश देते हुये हीरा नट 19 वर्ष निवासी सूरतलाई नट बस्ती बिलखरवा, पाण्डव ढाबा के पास हाइवे सर्विस रोड पर दबिश देते हुये आरोपी देवराज नट 19 वर्ष निवासी सूरतलाई बिलखरवा, विजय नगर पुलिस ने पीएनटी खण्डहर मकान के पास दबिश देते हुये जतिन नट 20 वर्ष निवासी सूरतलाई बिलखिरवा नट बस्ती माढोताल को चाकू के साथ रंगे हाथ पकडा गया।

बरेला नगर परिषद में शिकायत निवारण समिति की बैठक

नवभारत, जबलपुर। जबलपुर जिले के बरेला में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उपक्रम मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी द्वारा जल प्रदाय परियोजना पर कार्य किया जा रहा है । जल प्रदाय परियोजना से संबंधित बरेला नगर परिषद में शिकायत निवारण समिति की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिक सुविधाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर गहन चर्चा की गई। बैठक में जल कनेक्शन, एसक्रो खाता तथा नर्मदा पेयजल योजना जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री पांडे ने निर्देशित किया कि वर्षा ऋतु के दौरान किसी भी निर्माण कार्य के चलते गड्ढे खुले न छोड़े जाएं। सभी कार्यों के उपरांत समुचित एवं सुरक्षित पुन:स्थापन (रिस्टोरेशन) को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नर्मदा पेयजल योजना का कार्य दिसंबर 2025 तक पूर्ण किया जाना अनिवार्य है, ताकि आगामी ग्रीष्मकाल में जल संकट की संभावित स्थिति से बचा जा सके।

पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 15 अगस्त से पूर्व डब्ल्यूटीपी परिसर में वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा, जिससे नगर में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष प्रतीक दुबे, सीडीओ अपराजिता मिश्रा,तथा संविदाकार के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस दौरान सभी उपस्थित सदस्यों ने नागरिकों की शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने हेतु सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लिया।

महाविद्यालय में रोपे गये ''एक पेड़ मां के नाम''

पनागर .नवभारत। एक पेड़ मां के नाम'' कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय कला महाविद्यालय पनागर में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. पी. के. जैन के मार्गदर्शन में अधिकारी/कर्मचारी एवं राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयं सेवकों ने एक-एक पौधा अपनी मां के नाम पर रोपा जिसमें फलदार एवं छायादार पौधों को रोपते हुये उसकी देख-भाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉ. गायत्री मरावी ने विद्यार्थियों को पौधा रोपण के समय कहा कि यह एक प्रयास है जो हमारी मातृभूमि और प्रकृति के प्रति हमारे सम्मान और समर्पण को दर्शाता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में महाविद्यालय परिवार का योगदान सराहनीय रहा।

डॉ. उमाकांत को दिल्ली में मिला प्रतिष्ठित डॉक्टर पुरस्कार

जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता उमाकांत शर्मा को रविवार, 27 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में डॉक्टर ऑफ लॉ एंड सोशल सर्विस उपाधि से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें विधि और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। इस उपलब्धि के साथ डॉ. शर्मा जबलपुर के पहले व्यक्ति बन गए हैं, जिन्हें इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है। समारोह में भारत और विदेशों के कई गणमान्य व्यक्ति, साहित्यकार, प्रशासनिक अधिकारी और अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात हस्तियाँ शामिल हुई। उमाकांत शर्मा वर्तमान में जबलपुर हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता के रुप में अपनी सेवाए दे रहे है। उनके पिता, जो शहडोल लॉ कॉलेज के प्राचार्य और वरिष्ठ अधिवक्ता थे।

कार्यालय नगर पालिक निगम जबलपुर (म.प्र.)

द्वितीय निविदा सूचना

N.I.T.PWD/08/PRO No.402 Dated : 01/08/2025

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेंण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1.	2025_UAD_434708_1 Date- 05/08/2025	शीतलामाई वार्ड अंतर्गत गली नं. 02 एवं 03 के पीछे चौकसे के मकान से लेकर CSP परमार के मकान तक नाली मरम्मत कवर्ड करना एवं चेंबर लगाने का कार्य।	04 माह ₹ 3.39 लाख	2000/- 3396/-	20/08/2025
2.	2025_UAD_434708_2 Date- 05/08/2025	शीतलामाई वार्ड अंतर्गत गोलू गुप्ता के मकान के पीछे से मनीष मौर्य के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	04 माह ₹ 3.23 लाख	2000/- 3235/-	20/08/2025
3.	2025_UAD_434708_3 Date- 05/08/2025	शीतलामाई वार्ड अंतर्गत रंगनाथ के मकान के पीछे से डी.मोले के मकान तक नाली मरम्मत निर्माण चेंबर एवं बाऊंड्रीवाल कार्य।	04 माह ₹ 2.45 लाख	2000/- 2454/-	20/08/2025
4.	2025_UAD_434708_4 Date- 05/08/2025	शीतलामाई वार्ड अंतर्गत संदीप नेमा की गली में सड़क एवं संदीप नेमा के मकान के पीछे से नाली मरम्मत कवर्ड एवं चेंबर कार्य।	04 माह ₹ 3.77 लाख	2000/- 3775/-	20/08/2025

नोट:- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाइट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री (लोककर्म) नगर निगम जबलपुर

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) (IIFL-HFL) के कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गांव-122015 (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालय- 225, नेपियर टाउन, दूसरा माला, अपोजिट चन्द्रिका टॉवर्स, शास्त्री ब्रिज रोड, जबलपुर-482001 में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद 'अधिनियम') के अंतर्गत बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री। जबकि IIFL-HFL के प्राधिकृत अधिकारी ('AO') ने निम्नलिखित ऋण खातों/संभावना संख्याओं में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों का कब्जा ले लिया था. आईआईएफएल-एचएफएल के बकाये की वसूली के लिए 'जहां है जैसा है, जो है जैसा है तथा बिना किसी सहारे के आधार पर' इसे बेचने के अधिकार के साथ, बिक्री वेबसाइट: www.iiflonehome.com पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी मंच के माध्यम से नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा की जाएगी.

देनदार/सहदेनदार/ गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस की तिथि व राशि	अचल संपत्ति/ सुरक्षित संपत्ति का विवरण	भौतिक कब्जा तिथि	रिजर्व मूल्य
1. श्री विकास विनोदिया 2. श्री आकाश विनोदिया 3. श्रीमती लीला विनोदिया 4. श्री पवन विनोदिया (प्रॉस्पेक्ट नं. 816655, 891801 और 928483)	29 मई 2023 रु. 19,21,087/- (रु. उन्नीस लाख इक्कीस हजार सतासी मात्र)	संपत्ति का वह समस्त भाग जिसमें डुप्लेक्स संख्या -27-ए, खसरा संख्या -40/1 का भाग, 690 वर्गफुट भूमि क्षेत्रफल और 600 वर्ग फुट सुपर बिल्ट-अप क्षेत्रफल शामिल है, एनबी 264, पीएचएन-50, स्टार ड्रीम सिटी, मौजा पड़रिया, स्टार ड्रीम सिटी, समाधि रोड, गौर तिराहा, जबलपुर, 482020, मध्य प्रदेश, भारत (क्षेत्रफल 1042 वर्ग फुट)	29 जनवरी, 2025 कुल बकाया राशि 6 जुलाई 2025 को रु. 29,06,966/- (रु. उन्तीस लाख छह हजार नौ सौ छियासठ मात्र)	रु. 1257000/- (रु. बारह लाख सत्तावन हजार मात्र)
	बिड वृद्धि राशि रु. 25,000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र)			बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 125700/- (रु. एक लाख पच्चीस हजार सात सौ मात्र)

प्रॉपर्टी निरीक्षण दिनांक	ईएमडी की अंतिम दिनांक	ई-नीलामी दिनांक/समय
18 अगस्त 2025 11.00-14.00 बजे	20 अगस्त 2025 के 5.00 बजे तक	22 अगस्त 2025 11.00 से 13.00 बजे

भुगतान का तरीका- ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाना है. भुगतान करने के लिए आपको https://www.ifionehome.com पर जाना होगा और केवल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा.
नोट- प्रत्येक संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए भुगतान लिंक अलग-अलग है. सुनिश्चित करें कि आप उस संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं जिसे आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं.
शेष भुगतान के लिए - https://www.iiflonehome.com >मेरी बोली >शेष राशि का भुगतान करें पर लॉग इन करें.

नियम एवं शर्तें:-

1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता https://www. iiflonehome.com के पास अपना विवरण पहले से पंजीकृत करना होगा तथा लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा. इच्छुक बोलीदाताओं को उपरोक्त शाखा कार्यालय में ईएमडी के भुगतान विवरण, केवाईसी की प्रति तथा पैन कार्ड के साथ अपना 'निविदा प्रपत्र' जमा/भेजना होगा.
2. बोलीदाताओं को 'बोली वृद्धि राशि' कॉलम के अंतर्गत उल्लिखित राशि के गुणकों में अपनी पेशकश में सुधार करना होगा. यदि बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है, तो समापन समय स्वत: ही 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा.
3. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (ईएमडी समायोजित करने के बाद) एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर तथा बोली राशि का शेष 75% सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा. सभी जमा और भुगतान निर्धारित भुगतान विधि से किए जाएंगे.
4. क्रेता को उपकर, लागू स्टाम्प शुल्क, फीस और कोई अन्य वैधानिक बकाया या अन्य बकाया जैसे नगरपालिका कर, बिजली शुल्क, भूमि और अन्य सभी आकस्मिक लागत, संपत्ति से संबंधित सभी करों और दरों सहित प्रभारों का भुगतान करना होगा.
5. क्रेता को बिक्री राशि के लेन-देन/भुगतान पर टीडीएस आवेदन का भुगतान करना होगा और आईआईएफएल एचएफएल के साथ टीडीएस प्रमाण पत्र जमा करना होगा.
6. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले नीलामी बिक्री और नीलामी आवेदन पत्र की विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट https://www.iiflonehome.com और https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखें.
7. ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता की ईमेल आईडी: care@iiflonehome.com, सहायता हेल्पलाइन नंबर: @1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं.
8. संपत्ति के विवरण, संपत्ति के निरीक्षण और ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सोमवार से शुक्रवार के बीच 09:30 बजे से 18:00 बजे तक IIFL HFL टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर कॉल करें या ईमेल करें: care@iiflonehome.com
9. उपरोक्त उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि वे 7 दिनों के भीतर भौतिक कब्जे में लेने के समय सुरक्षित संपत्ति में पड़े घरेलू सामान को इकट्ठा करें, अन्यथा IIFL-HFL परिस्थितियों में संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
10. इसके अलावा उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि यदि वे उपरोक्त सामान इकट्ठा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानून के अनुसार बेचा जाएगा.
11. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी स्तर पर निर्धारित समय के भीतर भुगतान में चूक की जाती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा.
12. एओ बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है. निविदा/नीलामी में किसी भी विवाद की स्थिति में, आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा.

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9(1) के तहत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना

उधारकर्ता को निविदा/नीलामी की तिथि से पहले ऊपर उल्लिखित राशि के साथ-साथ अद्यतित ब्याज और सहायक व्यय का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और यदि कोई बकाया है तो उसे ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा.

स्थान- जबलपुर, दिनांक- 2-8-2025 — एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड